दिनांक	आज्ञा पत्र
22/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी स्कूल के बार-बार आवाज लगवाई गई लेकिन न्यायालय समक्ष हाजिर नहीं आये। अतः आदेश पत्र अन्तर्गत नियम 8 द्वारा प्रार्थी अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही तामील अमल हो। निर्णय आज दिनांक 22/4/25 को सरेइजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner